



“प्ररूप-8
(नियम 13(3) और 26 देखें)

प्ररूप सं०. _____
(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

भारत निर्वाचन आयोग

विद्यमान निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन चिह्नंकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/ निवास स्थानांतरण हेतु मतदाता आवेदन प्रारूप

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,

सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम

सं.

नाम _____

या सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@

सं.

नाम _____

(@ केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है)

(I) आवेदक का नाम

ईपीआईसी सं

आधार ब्यौरे (कृपया समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं)

(क) आधार संख्यांक या

(ख) मैं आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है।

स्वयं का मोबाइल संख्या

(या)

पिता/माता/ किसी अन्य नातेदार का मोबाइल संख्या, (यदि उपलब्ध हो)

स्वयं का ई-मेल आईडी

(या)

पिता/माता/ किसी अन्य नातेदार का मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)

(II) मैं निम्नलिखित हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ (निम्नलिखित में से किसी एक पर सही का निशान लगाएं)

- निवास का स्थानांतरण (या)
- विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार (या)
- बिना सुधार के ईपीआईसी प्रतिस्थापन का मुद्दा और
- दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिह्नंकित करने हेतु अनुरोध

1. निवास स्थानांतरित करने हेतु आवेदन:

मैंने निवास स्थानांतरित कर लिया है और मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा नाम पूर्व पते से हटाया जाए और मेरे नीचे उल्लिखित वर्तमान पते पर स्थानांतरित कर दिया जाए।

मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे पते में परिवर्तन के कारण मुझे एक प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए। अतः, मैं अपना पुराना ईपीआईसी वापिस करता हूँ।

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| वर्तमान मामूली निवास (पूर्ण पता) | भवन/मकान/अपार्टमेंट सं० | गली/क्षेत्र/स्थान/मोहल्ला/सड़क |
| | नगर/ग्राम | डाकघर |
| | पिन कोड | तहसील/तालुका/मंडल |
| | जिला | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र |

पते के साक्ष्य की एक स्वतः अनुप्रमाणित प्रति या तो आवेदक के नाम या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बालक, मैं से किसी एक, यदि वह उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है (उनमें से कोई एक संलग्न करें)

(i) निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज:- (इनमें से कोई एक)

- उस पते का (कम से कम एक वर्ष) जल/विद्युत/गैस कनेक्शन बिल
- आधार कार्ड
- राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पासबुक
- भारतीय पासपोर्ट
- राजस्व विभाग का भूमि स्वामिस्व रिकार्ड जिसमें किसान बही भी है
- रजिस्ट्रीकृत भाड़ा पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में)
- रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____

आवेदन को भरने के लिए दिशानिर्देश

प्ररूप-8

1. सामान्य अनुदेश :

(ø) . - > - 88 . ð - n. .¼ RQ -8 . ð - n. > -.é 1çé 8 <ÿ- 8 8 . ð - 1 p38] P.ý0Nø 8 . ð .ÿDL 1w- 8.. -Jý*ø ç 8 .ø -ÿ- ø - 9a

(ù) . -JýøÿDL 1øð. (éç ô) *- ç - 8 n. .¼8<Q -ø 88 . - C < .øð n. > -.é 1çé 8 <ÿ- 8 8 . ðç 8 ø1 Cÿ8 1- 8 Pç 8 øø<ðø -n. > -.é 1çé 1 ÿ- 1ø -ÿ-ðúõ è 8æ 82 -é81 -éøk. -JýøÿDL 1øð. ø < ý- - ø - <ú-a

2. **मद सं. 1 (आवेदक का नाम)-** ç 8 øæ - -, é 1çé 1Cç - C¥- < -è C ò â C -è P è0ÿ0ù C 8 1é 8 çé 1 . Jø 8 úna .¼8<8. n - 8 n <ÿ8 . ðç - C¥-8 ÿ-. ða . ç 8 88 - ç - C¥- 1ø <è ø-éÿ8ù 1(ù)8 -> P.ø -ÿ- ø - 9a

3. **मद सं. 2 (आवेदन के लिए विकल्प)** ç 8 øç 8 8 .ø 1ðø. ø™ . øø 8 ù- ç 8 8 2 Cú ùC Po= ø 8 ú8 1ùC ÿ< 2 Cú 1øNø- . -ÿ- ÿ-. ða

4. **निवास स्थान बदलने के लिए आवेदन** (ø) ç 8 è . -Jý-8i. -JýøÿDL 1øð. ø<ø - <ú- .ÿ 8 øø- - -0> 9(a) ç 8 øø<æ 8ð 8ø-éÿ8ùø - <úÿ -C > - -C /ú - 9 ò J - P - 9ò æ 8 8 - -æ 8- -. / - - 18 - 8 n - 8] P .ø 1ðø 3 Ñ- 8ø1ðøâ-n -. n. C ø 8 ú-a 3 Ñ- 8ÿ . øø 8 ÿ<é 8 8 n - 8 \ P. - 9a3 Ñ- 8ÿ8 -øG / / - 2. .ø 8 ú-a è ø8 - ø<é3 Ñ- 8ÿ 1ø <é 8 / ...> - P 8 n - 8 . ð. ðúðæJ Ñ- 88 - ø-éÿ8ùø - <ú-a

5. **विद्यमान नामावली की प्रविष्टियों में सुधार के लिए आवेदन** (ø) . ø<ç 8 ø. -Jýø - 1Pè 8 C C . .ø 1 =ÿ3n. .¼< 1ø -ÿ- -9 <è 8è 2...-> P.øø - <úè æ 8- 8 J P Ñ- 8ÿC 8 - <ú-aðúðù- 1> - PÑ- 8ø- - æ ' è0ÿ0ùø -ÿ-. ða (ù) . ç 8 øæ 1 < < - ÿ- -9 < - ø-ðøæÅ 1ú2 -- - - <øø- (4.5 8 1X 3.5 8) ø-æ Ñ- - / Cú 1< < 8 4¼ 8 . - è ø8. ð 8-> P.ý ø - -<ú-a

6. **बिना सुधार के ईपीआईसी को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन** é 1çé 8 <n -. ø 8 . ðç 8 øø < è 2...-> Pøø. ø ú- - <ú-a æ 8 ø4 2 -é81çé 8 <- ø 8 ú-ù<ððé 1çé 8 . ð ð çéç ø1ø- 1Ñ2ø 8 ú-a

घोषणा- ç 8 øø<ú< ø - <ú.1øç 8 Pè0ÿ0ù ò . 8 8 1Q Ò-ò . - - 8 æ 2 - 1 8 a

कृपया ध्यान दें कि घोषणात्मक भाग में कोई गलत कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय अपराध होगा जिसके लिए एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।